

सुनो कहानी सनफर की

प्रेमभाई

सर्व सेवा संघ
राजधान चाराणसी

प्रकाशक : मन्त्री, सर्व सेवा सम,
 राजघाट, वाराणसी
 संस्करण : पहला
 प्रतिपा : १,०००; अप्रैल, १९६८
 मुद्रक : ममलकुमार घसु,
 इण्डियन प्रेस (प्रा० लि०),
 वाराणसी
 मूल्य : एक रुपया

<i>Title</i>	SUNO KAHANI MANFAR ^{KED}
<i>Author</i>	1 Prembhai
<i>Subject</i>	1 Gramdan
<i>Publisher</i>	1 Secretary, Sarva Seva Sangh, Rajghat, Varanasi
<i>Edition</i>	1 First
<i>Copies</i>	: 1,000; April, 1967
<i>Price</i>	: Re. 1 00

प्रकाशकीय

मनकर विहार का पहला ग्रामदानी गाँव है। यह ग्रामदान सन् १९५३ में हुआ। इस बात को अब १४ वर्ष हो गये हैं। इस बीच विहार में ग्रामदान-मान्दोलन काफी ऊँचाई पर पहुँच गया और अब तो जिलादान भी हो गया है।

मनकर गाँव छोटा-सा है, आदिवासियों का है, पहाड़ियों के बीच है। ऐसे गाँव गरीबी को गायामों से भरे होते हैं, हजारों चपों से यही बात चली आयी है।

लेकिन ग्रामदान-मान्दोलन ने हवा बदल दी है, संस्कार बदल दिये हैं, रहन-सहन के, रीति-रिवाज के, सान-पान के, काम-धन्धे के सौर-तरीके बदल दिये हैं।

मनकर ने पिछले १३-१४ वर्षों में बहुत ऊँचों मंजिल तप नहीं बी है, लेकिन उफलभूमि साधन-नुविधामों के प्रायार पर जो कुछ यही हो रहा है, वह देराने-समझने यो धीज अवश्य है।

थी प्रेमभाई ने यहीं बी प्रगति का भाँडोदेशा हाल इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। थी प्रेमभाई ने सरल, गरम भाषा में, गङ्गेष में आय-इय जानकारी देकर इन्ह ग्रामों के लिए मार्मदर्शक पुस्तिका भेट दी है।

हम घाहते हैं कि विभिन्न ग्रामदानी गाँवों के निर्माण-विकास और प्रगति का चित्र इसी तरह प्रस्तुत किया जाय।

अनुक्रम

१. मनफर : एक परिचय	१
२. सामूहिक अभियान	९
३. डाईगुना पैदावार	१७
४. कुटेब भौंर कुरीतियों से टक्कर	२२
५. ग्रामदार की शक्ति	२७
६. कुछ सामूहिक संस्थाएँ	३३
७. सर्वोदय आश्रम	३६
८. कुछ असफलताएँ : कुछ सबक	४०
९. भविष्य सुनहरा है	४७

परिशिष्ट

१. मनफर गाँव : कुछ तथ्य	५३
२. प्रगति के झाँकडे	५५

मनफर : एक परिचय

पश्चिम में भाँवरिया पहाड़ी, दक्षिण में गोवर्धन पहाड़, उत्तर में विघी गाव और पूरब में गुलडवेद, जिनके बीच में बसा है मनफर गाँव। गाव के पश्चिम-दक्षिण पहाड़ियों की एक शृङ्खला चली गयी है और पूरब की ओर गुलडवेद गाँव से लगो हुई एक छोटी-सी नदी वह रही है। इन सबने मनफर गाँव को सहज प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान किया है। गया जिले के दक्षिणी किनारे पर लगभग मध्य में ग्रैण्ड ट्रंक रोड पर बाराचट्टी थाना स्थित है। थाना तो यहां बहुत पहले से ही है। डाकघर, वस-स्टाप भी यहाँ है। विकास-प्रखण्ड भी यहाँ स्थापित हुआ है। सड़क के दोनों ओर छोटा-मोटा बाजार बन गया है। इस प्रकार बाराचट्टी धीरे-धीरे एक कसबे का स्प ले रहा है। इस स्थान से लगभग ४ मील दूर दक्षिण की ओर मनफर गाँव है। उससे थोड़ा और आगे जाने पर पहाड़ियों के ऊपर पार हजारीबाग जिला शुरू हो जाता है। इस प्रकार मनफर गया और हजारीबाग जिलों के सीमान्चेन में स्थित है।

जगन और पहाड़ियों के मध्य इस तेज में आदिगांसी और अहीर लोग बसते हैं। मनफर एक छोटा-मा गाँव है।

पूरे रिवेन्यू गाँव का एक टोला कहे तो ज्यादा ठीक होगा। करीब ३३ परिवार हैं, जिनमें से २८ भोक्ता परिवार और ५ भुइयाँ परिवार हैं। ये सब आदिवासी हरिजन लोग हैं। बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। जमीन जगली और ऊबड़ खाबड़ है। जमीदारी मिटने के बाद भी अभी हाल तक जमीदारों का अत्याचार मनमाने रूप में यहाँ प्रकट होता रहता था। जमीदार के गुमाशता तथा पटवारी अनपढ़ तथा गरीब लोगों से मनमानी वेगार करवाते और खाने के लिए उनकी मुर्गियाँ, जानवर आदि पकड़कर ले जाते थे। इन लोगों वो लकड़ी का कोयला बनाकर सिर पर रख ५० मील पैदल चलकर जमीदार के घर तक पहुँचाना पड़ना था। एक तरफ लोग गरीबी की चकी में पिस रहे थे और दूसरी तरफ जमीदार की वेगार भी ढोनी पड़ती थी।

सन् १९५३ की बात है। इस क्षेत्र में सर्वोदय-कार्य-कर्ताओं वी एक टोली भूदान माँगने के लिए घूम रही थी। यान के भूदान स्योजक श्री दिवाकरजी, स्थानीय प्रजासमाजवादी दल के प्रमुख वार्यकर्ता श्री श्रीधरनारायणजी तथा अन्य एक दो कार्यकर्ता मनफर गाव पहुँचे। गरीबों का गान, थोड़ी थोड़ी जमीन, भूदान यहाँ क्या मिलता? लोगों ने अपनी गरीबी की कहानी जमीदार के अत्याचार वी

कहानी के साथ मिला-जुलाकर सुनानी शुरू कर दी। प्रकट था कि भूदान से उनकी समस्या सुलझ नहीं सकती थी। तब सर्वोदय-कार्यकर्ताओं ने उन्हें ग्रामदान की महिमा बतायी। जमीदार के अत्याचारों से मुक्ति पाना हो, महाजन और पुलिस के शोपण से छुटकारा पाना हो और अपनी गरीबी से लड़ना हो तो उसका एक ही रास्ता है। ग्राम-संगठन। ग्रामदान।

जिस प्रकार सूत का एक धागा आसानी से टूट जाता है, लेकिन उसी सूत के अनेक धागों को मिलाकर एक ऐसी मजबूत रस्सी बन जाती है, जो आसानी से नहीं टूट सकती। अकेले धागे में एक छोटे-से वजन को भी उठाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन उन्हीं कमजोर धागों से संगठित रस्सी बड़े-से-बड़े वोभ को बाधकर उठा सकती है। उसी प्रकार अकेला मनुष्य गरीबी का वोभ नहीं उठा सकता। लेकिन उन्हीं कमजोर मनुष्यों वा संगठन गरीबी को ही जट-मूल से मिटा सकता है। अकेले मनुष्य म अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की शक्ति नहीं होती, लेकिन अनेक मनुष्यों वा ठोस संगठन बड़े-से-बड़े अत्याचार वा सामना हँसी-खुगी वर समना है। ग्रामदान वा मतदात्र है, व्यक्तिवाद का दान और ग्राम-ऐव्य वा स्थापन। गांव के सभ लोगों वा मण्डन। गांव में योई अकेला गरीब न रहे। सभ मिलकर मङ्ग

दुख-मुख बांटकर चलें। किसी एक पर अत्याचार हो तो सब मिलकर उसका मुकावला करें। गाँव में सुख-सम्पन्नता-शान्ति लाने के लिए सब मिल-जुलकर कठिन मेहनत करें। यह है ग्रामदान का विचार।

कोई भूमिहीन न रहे

गाँव में एक व्यक्ति भूमिहीन रहेगा, दूसरा व्यक्ति मजे से पेट भरेगा और अपने व्यसन भी पूरे करेगा। एक व्यक्ति भूमिहीन रहेगा और दूसरा व्यक्ति इतनी जमीन रखेगा कि उसको ठीक से जोत भी न पाये। तब तक गाँव में संगठन नहीं हो सकता और न गाँव में शान्ति रह सकती है। वास्तव में गाँव में जितने भगड़े होते हैं, उनमें से अधिकतर जमीन की मालिकी की बजह से होते हैं। मेरी इतनी जमीन उसने ले ली। उसने मेरी मेंढ़ काट डाली आदि छोटी-छोटी बातों पर भगड़े होते रहते हैं। ये ही भगड़े कचहरी में जाकर भयंकर रूप ले लेते हैं। इन सब भगड़ों को मिटाना हो तो सब लोग अपनी-अपनी मालिकी गाँव-सभा को दान कर दे। हर किसान को धरतीमाता की सेवा करने का अधिकार है, प्रत्येक भूमिहीन-परिवार को जोतने के लिए जमीन मिले। गाँव में कोई भूमिहीन न रहे—यह ग्रामदान का पहला विचार है। मिल्क्यत गाँव की और जोत किसान की,

इस समान भूमिका पर सब खडे होगे तो गाँव में भाईचारा बनेगा ।

गाँव में भाईचारा तो हुआ, फिर भी कभी-कभी भगडे तो होगे ही । लेकिन गाँव के भगडे गाँव के बाहर नहीं ले जायेंगे । गाँव का एक परिवार बनाना है, सगठन मजबूत करना है, इसलिए ग्रामदान की दूसरी शर्त यह है कि गाँव के सभी भगडे गाँव में सुलझाये जायेंगे । कच्चहरी में गाँव का धन और गाँव की इज्जत नहीं लुटायेंगे ।

गाँव का कारोबार ठीक से चले, एक मति से चले, इसलिए गाँव के प्रत्येक वालिंग व्यक्ति को मिलाकर एक ग्रामसभा बनायेंगे । यह ग्रामसभा सर्वसम्मति से गाँव की तरकी के लिए, खुशहाली के लिए योजना बनायेगी । गाँव की जमीन की गेडावदी बरनी है, नाला बाँधना है, गाँव में कुएँ खोदने हैं, इस प्रकार के सब निर्णय मिलकर लेंगे और सब मिलकर वाम करेंगे । एक तरफ गाँव का उत्पादन बढ़ाने के लिए और दूसरी ओर सब लोगों को रोजगार देने के लिए यह ग्रामसभा योजना बनायेगी । गाँव में बोई विना वाम के न रहे, बोई भूखा न रहे, बोई भूमिहीन न रहे, इसकी व्यवस्था बरेगी ।

गाँवसभा गाँव का वाम चला सके—इसके लिए उसके हाथ में कुछ पैसा रहना चाहिए । इसलिए गाँव में एक

सुनो कहानी मनफर की

'धर्मगोला' की स्थापना की जायगी। इस कोष में सब परिवार अपने उत्पादन का या अपनी आमद का चालीसवाँ भाग जमा करेंगे। यह ग्रामदान-विचार की चौथी बात है। यदि इन चारों बातों का आप लोग पालन करेंगे तो आप अपने दुख दूर करने में अवश्य सफल होंगे, यह विचार गांववालों को समझाया गया। ग्रामदान का विचार लोगों के लिए नया था, लेकिन विना संगठन किये न तो कुएँ बांधे जा सकते हैं, न तो जमीन तोड़ी जा सकती है, न तो धान के खेत बनाये जा सकते हैं और गरीबी से छुट्कारा पाना भी अकेले आदमी के लिए असंभव ही है। दूसरा पाना भी अकेले आदमी के अन्याचार से मुक्ति मिलेगी और संगठन होगा तो जमीदार के अन्याचार से शोपणकर्ताओं से भी लड़ा जा सकेगा, यह बात गांववालों को बखूबी समझ में आ गयी और इस प्रकार दिसम्बर १९५३ में मनफर का ग्रामदान हो गया। स्वामित्व से ये लोग चिपटे नहीं थे और अपना स्वामित्व जमीन से समाप्त करके गांव का स्वामित्व बनाने में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। यह पूर्ण ग्रामदान था, सुलभ ग्रामदान नहीं।

मनफर गांव ने ग्रामदान की घोषणा की, इसके तुरंत बाद ही क्षेत्रीय नेताओं और सर्वोदय-कार्यकर्ताओं का ध्यान मनफर की ओर आकर्षित हुआ। श्री दामोदरदास मूँदड़ा ने प्रयत्न करके एक छोटे-से आश्रम की स्थापना वहाँ

करवायी। एक सर्वोदय-कार्यकर्ता और दो कस्तूरवा ग्राम-सेविकाओं को नियुक्त किया गया। ये लोग गाववालों के सामूहिक अभिक्रम को जगाने में मदद करें और सामूहिक शक्ति द्वारा गाँव के विकास का संयोजन करें, ऐसी अपेक्षा रखी गयी।

'सर्वे भूमि गोपाल की' यह नारा गाँव में गूँजने लगा। जमीन गाँव की है और प्रत्येक व्यक्ति को जोतने का समान अधिकार है, यह बात समझकर २६ जून, १९५४ को प्रत्येक आदमी को वरावर-बरावर जमीन बाँटकर दी गयी। गाव के लोगों की १५२ एकड़ २६ डिसम्बर जमीन थी। हिसुवा स्टेट के जमीदार ने अन्य ४० एकड़ ६७ डिसम्बर जमीन भूदान में दी थी। इस सब जमीन को गाँववालों में प्रतिव्यक्ति के अनुसार वरावर-बरावर बाँट दिया गया। जिस परिवार में ज्यादा व्यक्ति थे, उसको कम मिली। मेघनसिंह के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। उनके पास १५ एकड़ के बदले मिर्क ४॥ एकड़ रह गयी। चमारीसिंह के पास १० एकड़ थी। उनको २ एकड़ मिली। इसके विपरीत एक भूमिहीन-परिवार को, जिसमें अधिक व्यक्ति थे, ५ एकड़ जमीन मिल गयी और यह सब चमत्कार बिना किसी झगड़े टटे के हो गया।

इस बैटवारे में एक और ध्यान रखा गया है। गरीबों को खराब जमीन और वडे किसानों को अच्छी जमीन, ऐसा नहीं किया गया है। जमीन को उसकी किसी के अनुसार चार भागों में बाँटा गया है। इस प्रकार जमीन की चकवंदी हुई है और प्रत्येक परिवार को प्रत्येक चक में से यानी सिर्फ़ चार टुकड़ों में जमीन मिली है।

गाव की जनसंख्या करीब १६६ थी और लगभग १६६ एकड़ जमीन व्यक्तिगत रूप से काश्त करने के लिए परिवारों को बाँट दी गयी। २२ एकड़ १६ डिसमल जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी गयी। ३ एकड़ ६६ डिसमल जमीन आश्रम के लिए दी गयी। प्रतिव्यक्ति करीब १ एकड़ जमीन आयी। गाँव की असमानता मिट गयी और गाँव में एक हृद भाईचारे की स्थापना हुई। भूमि-पुनर्वितरण की रस्म तत्कालीन राजस्वमन्त्री श्री वृष्णावल्लभ सहाय के हाथों द्वारा की गयी। श्री सहाय ने इस श्रवसर पर जगली जानवरों से अपनी फसल की रक्षा के लिए एक घटूक भी गाँववालों को भेट में दी और इस प्रधार मनफर गाँव ग्राम-स्वराज्य की दिशा में बढ़ने लगा। हम आगे जो लिखने जा रहे हैं, वह ग्रामदान के बाद मनफर गाँव के विकास की ११-१२ वर्ष लम्बी यहानी है।

सामूहिक अभिकर्म

हम पहले ही लिख आये हैं कि मनफर की जमीन रेतीलो तथा ऊवड़-खावड ही अधिक थी। सन् १९५३ के पहले पाँच-सात एकड़ जमीन ही घनहर थी, जो एक-दो परिवारों के पास थी। बाकी जमीन एक फसली भीट और टाँड थी। यह जमीन गाँववालों को सिर्फ चार महीने ही खाने का अनाज दे पाती थी।

ग्रामदान हुआ, तब ग्राम के सभी वालिग व्यक्तियों को मिलाकर एक ग्रामसभा बनी। इस सभा ने गाँव की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया। ४ महीने के लिए पैदा करनेवाली घरती से १२ महीने का अनाज क्योंकर पैदा हो? गाँव में हरएक परिवार की युशहाली कैसे बढ़े? इस प्रकार के अनेक प्रश्न सामने आकर खड़े होने लगे। इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करने और उनका हल खोजने में सर्वोदय-नायकता गाँववालों की मदद करने लगे। बहुत जल्दी ही गाँववालों ने यह समझ में आ गया कि पैदावार बटाने के लिए मवसे पहले जमीन की तिचाई का इंतजाम जरूरी है। भूमि समतल करके, जमीन की गेडावन्दों वरके अधिकान्से-अधिक जमीन घनहर बनानी पड़ेगी और इसके

लिए सबको मिल-जुलकर कढ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समय का तकाजा था और गाँव में जोश था। सभा लोग कमर कसकर गरीबी से लड़ने के लिए, 'मेहनत' करने के लिए तैयार हो गये और तब कुएँ खोदना, तालाब बनाना, नाले पर बांध डालना, जमीन समतल करना और इस प्रकार के अनेक कामों का एक सिलसिला और सामूहिक श्रम की एक सतत धारा ही गाँव में वहने लगी।

कुओं की खुदाई

ग्रामदान के पूर्व सिचाई की कोई व्यवस्था गाँव में नहीं थी। सिचाई के लिए तो क्या, पीने के लिए भी कोई कुआँ नहीं था। नाले के नजदीक एक कच्चा कुआँ था, जो बरसात में गली के गंदे पानी से भरकर गंदगी से एक रुम हो जाता था और फिर भी मजबूरन् इसी अपेक्षा जल-कूप का पानी गाँववालों को पीना पड़ता था। ग्रामसभा ने गाँव में कुछ कुएँ खोदने का तय किया और सन् १९५६ तक गाँव में ४ कुएँ खोद डाले गये। खोदने का सारा काम गाँववालों ने सामूहिक श्रमदान से विया। इस श्रम की फीमत रुपयों में लगायी जाय तो करीब २,००० रु० होगी। कुएँ तो खोद लिये, लेकिन उनको बोधने के लिए गाँव के पास पेसा नहीं था और तब इन कुओं को पक्का बांधने के लिए

सर्व सेवा सघ की ओर से २,००० रुपये की मदद दी गयी। आगले दो वर्षों में और दो कुएँ गाँववालों ने खोदे। उन्हे बाँधने के लिए मदद-स्वरूप गाधी निधि ने १,००० रुपये दिये। सन् १९६२-६३ में और दो कुएँ खोदे गये, जिनको बाँधने के लिए विकास-प्रखण्ड ने ६०० रुपये का अनुदान दिया। उसके बाद पिछले दो-तीन वर्षों में और दो कुएँ गाँववालों ने खोदकर तैयार कर लिये हैं। ये कुएँ अभी पकड़े नहीं वैधे हैं। ये कुएँ बैंध जायेगे, तो गाँववाले और नये कुएँ खोदना शुरू कर देंगे। और यह सब देखकर आशा होती है कि कुओं को खोदने की यह शृङ्खला तब तक चलती रहेगी, जब तक गाँव की एक एकड़ भाँ भूमि असिचित रहेगी।

सिंचाई के लिए बाँध

ऊपर सिर्फ कुओं की बहानी लिखी गयी है। सिंचाई का प्रबंध करने के लिए कुछ अन्य प्रयत्न भी गाँववालों ने और सरकार ने किये हैं। हम लिख चुके हैं कि गाँव के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों की एक शृङ्खला चली गयी है। वर्षाकाल में इन पर गिरनेवाला पानी तेज गति से बहकर मैदान की भूमि का कटाव करता हुआ, मिट्टी के साथ मिल-कर नालों और नदियों में बहकर बेकार चला जाता था।

सुनो कहानी मनफार की


१२

सन् १९५५ में सरकार ने इस जगह एक आहर बाँधने की योजना स्वीकार की। पहाड़ी से थोड़ी दूर हटकर उसकी तलहटी में एक बाँध बाँधा गया। इस पर काम करने की कुल लागत करीब ३,४०० रुपये हुई।

पास में बहनेवाले एक छोटे नाले पर बाँध डालकर उसका पानी भी इस आहर में ले आया गया। इससे पानी का संचय और बढ़ गया। इस नाले को बाँधने का खर्च करीब ६५० रुपये हुआ।

तालाब बनने के बाद भी और नाले का पानी उसमें ले आने के बाद भी सिचाई के लिए काफी सुविधा गाँव में न हो पायी। तब गाँववालों ने सोचा कि पास में जो छोटी नदी वह रही है, उसी पर यदि बाँध डाला जाय और जरूर नदी वह रही है, तो सिचाई की समस्या काफी हृद तक छोड़ दिया जाय, तो सिचाई की समस्या काफी हृद तक सुलभ सकेगी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस योजना के लिए विशेष उत्साह न दिखाया। तो भी गाँव के उत्साह को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने गाँव के सामूहिक श्रम के भरोसे पर ही नदी पर बाँध डालने को योजना मंजूर कर ली। गाँव-सभा का प्रस्ताव किया गया और दो वर्ष लगातार गाँव के हर परिवार ने इस काम के लिए श्रमदान किया। सन् १९६० और १९६१ में बाँध के लिए मिट्टी

डाली जाती रही और आखिर मे लगभग तीन-चार हजार रुपये की कीमत का एक बाँध तैयार हो गया। दो साल तक इस बाँध की मरम्मत वरते रहे और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करते रहे। सन् १९६३ में भयकर वर्षा हुई, कच्चा बाध पानी का बोझ न सँभाल सका और टूट गया। इसके बाद अगले वर्ष फिर से गाववालों ने बाँध को मरम्मत करने का, सुधारने का जो प्रयत्न विया, वह सफल न हो सका और बाँध फिर से टूट गया। काफी प्रयत्न के



गाव के नाने पर पका बाँध

बाद गत वर्ष सरकार ने इस बांध के मुख्य भाग को सीमेन्ट और कंकरोट के साथ बांधने की योजना मंजूर कर ली और ४,७०० रुपये की लागत से पत्थर-सीमेन्ट-कंकरीट का पक्का बांध बना दिया गया। इसमें से आधा खर्च सरकार ने श्रीर आधा खर्च गाधी निधि ने अनुदान के रूप में दिया। इस बांध का काम इस वर्ष पूरा हो गया है। इस बांध के द्वारा संकलित पूरे पानी का उपयोग होने लगेगा तो गाँव में सिचाई की समस्या काफी हृद तक हल हो जायगी।

इन बांधों के अलावा व्यक्तिगत प्रथल द्वारा कुछ छोटे-छोटे बांध भी लोगों ने बनाये हैं। इस प्रकार के पच बांध, जिनकी लागत कम-सेकम २,००० रुपये होगी, अपने धर्म के भरोसे पर ही किसानों ने तैयार किये हैं।

जमीन को समतल बनाने का कार्य

तालाबों से सिचाई की सुविधा तभी हो सकती है, जब जमीन की गेडावन्दी करके उसको समतल बना लिया जाय। धान की खेती करने के लिए तो जमीन को समतल बनाना और भी आवश्यक है। पिछले १० वर्षों में अपनी शक्तिभर प्रथल करके अधिक-से-अधिक जमीन की गेडावन्दी करके समतल बनाने का काम गाववालों ने किया है और

इस बीच लगभग ३४ एकड़ जमीन धनहर बना ली गयी है। काफी भूमि का सुधार हुआ है और गाँव का उत्पादन भी बढ़ा है और २५ एकड़ जमीन की गेड़ावंदी भी गयी है, जो शीघ्र ही धनहर बन जायगी। लेकिन दूसरे एकड़ जमीन अभी भी टांड है। और जब तक यह सब जमीन वर्डिंग करके, समतल बनाकर सिचाई मे नहीं ले आयी जायगी, तब तक गाँव स्वावलम्बी नहीं बन सकेगा। काफी प्रयत्न करने के बाद इस वर्ष सरकार ने गाँव की सारी जमीन की गेड़ावंदी करने की योजना मंजूर कर ली है और उस काम का ठीका भी ग्रामसभा को ही दे दिया है। कुल २२,००० रु० काम का ठीका दिया गया है। इस वर्ष काम देर मे शुरू हुआ और सिर्फ २५ एकड़ जमीन की गेड़ावंदी हो पायी। अगले वर्ष संपूर्ण जमीन की गेड़ावंदी हो जायगी, ऐसा विश्वास है।

जब गाँव की संपूर्ण जमीन की गेड़ावंदी हो जायगी तो अधिकतर जमीन को पानी की सुविधा मिल सकेगा। फिर भी कुछ ऊँची जमीन ऐसी रह जायगी, जहाँ पर बांध का पानी नहीं चढ़ाया जा सकेगा। ऐसी जमीनों पर सिचाई के प्रवंध के लिए कुछ नये कुएँ बनाने होंगे और यह बात गाँववालों के ध्यान में आयी है।

कुओं से पानी निकालने के लिए अभी लाठे (देकुली)


का ही उपयोग हो रहा है। दिनभर लाठा चलाने से सात-आठ डिसम्बर जमीन को पटाया जा सकता है और इस प्रकार यह सवाल सामने आया है कि सिर्फ़ कुओं खोद लेने से ही सिंचाई की समस्या हल नहीं होगी। कुओं से लाठे ढारा ही पानी निकालता हो तो गाँव की श्रम-शक्ति भी पूरी नहीं पड़ेगी। प्रयोग के तौर पर पिछले वर्ष ५ हाँस पावर का एक इंजन-पंप गाँववालों को दिया गया है। इस इंजन से कुछ नयी समस्याएँ पैदा हो गयी हैं। कुएँ छोटे-छोटे हैं। उनमें पानी इंजन के लिए बहुत कम है। सिर्फ़ आधा घंटा इंजन चलाने से कुएँ का पानी मूँख जाता है, यह एक समस्या है। एक इंजन को एक कुएँ से दूसरे कुएँ पर, दूसरे से तीसरे कुएँ पर और इस प्रकार आठ-दस कुओं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मरीन चलाने के लिए जो कुशलता होनी चाहिए, वह गाँव में उपलब्ध नहीं है। पिछले वर्ष मरीन में थोड़ी-सी खराबी आ गयी और वह बेकार पड़ी रही। जब तक इंजन की छोटी-मोटी दुर्स्ती का काम गाँव का ही एक आदमी सीख नहीं लेता, तब तक इस प्रकार के साधन असफल ही रहने-वाले हैं। गाँववालों के ध्यान में दो बातें लायी गयी हैं— एक तो पंप से सिंचाई करना हो तो कुओं को गहरा करना पड़ेगा, ताकि उनमें पानी का खजाना बढ़ सके और दूसरी

तरफ गाव के किसी भी आदमी को जाकर किसी वर्कशाप में रहकर इजन-दुरुस्ती का काम सीख लेना होगा। ये दोनों बातें ग्रामीणों की समझ में आ गयी हैं। लेकिन इस दिशा में अभी तक विशेष प्रयत्न नहीं हुआ है।

ढाईगुना पैदावार

: ३ :

भूमि-सुधार होने से और सिचाई-व्यवस्था बढ़ने से गाँव की पैदावार दस वर्ष के अन्दर ढाईगुना बढ़ गयी है।



बुएं से सिखाई दरते हुए

ग्रामदान के पहले गाँव की मुख्य फसले मर्दी, अरहर और


तीसी (अलसी) थीं। थोड़ी-सी जमीन में धान की फसल लो जातो थी और थोड़ा-बहुत तिल भी उगाया जाता था। अब गाँव में खरीफ और रवी दोनों ही फसलें उगायी जाती हैं। गर्मी में भी कुछ हरी-भरी धरती देखने को मिलती है और कुछ तरकारियाँ भी प्राप्त होती रहती हैं। मकई और तासी के अलावा आलू, गेहूँ, मिर्च, बैगन, टमाटर, गोभी, प्याज आदि फसलें भी ली जाती हैं।



सिंचाई भौं आलू की योग्याई

करीब ४० एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था

हुई है। इनमें से २५ एकड़ जमीन में दो फसले तथा बाकी १५ एकड़ जमीन में तीन फसलें प्रतिवर्ष ली जाती है। इस जमीन में सघन खेती होती है। सन् १९६४ में गाँव के किसान श्री फागोसिंह ने सघन खेती का एक नमूना पेश किया। मक्का और आलू की दो फसलें लेने के



सिंचित फसलें

बाद उन्होंने अपने खेत में गेहूँ बोया। और गेहूँ की फसल भी इतनी अच्छी हुई कि उसको देखने के लिए आसपास

के विसान आते थे और मुग्ध हो जाते थे। इस खेत ने गेहूँ का बढ़िया फसल निकालने के लिए प्रखण्ड फसल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

ग्रामदान के पूर्व गाँव में लगभग ४०० मन अनाज व महुआ पैदा होता था। इस वर्ष (सन् १९६५) ३०० मन धान, २०० मन मकई, १५० मन गेहूँ, १५० मन अरहर, ५० मन चना, ५० मन बुलथी व तिल और ७५ मन महुआ हुआ। इस प्रकार पिछले ४०० मन के मुकावले सन् १९६४ में लगभग १००० मन अनाज पैदा हुआ और अनाज के अलावा १२०० रुपये का आलू तथा ५०० रुपये को मिर्च हुई। पहले वा उत्पादन सिर्फ चार महीने के लिए ही पूरा हो पाता था, वाकी द महीनों के लिए जगली जानवरों, पालनू जानवरों को खाने के अलावा पेड़ों की जड़ों और पत्तों पर आधार रखना पड़ता था। उसमें भी कमी पड़ती थी तो जगल की लकड़ी बेचकर, कुछ मजदूरी करके काम चलाना पड़ता था। अभी १०-११ महीने के लिए अनाज होने लगा है।

प्रकट है कि गाँव अभी भी अपनी खाने की आवश्यकताओं के बारे में स्वावलम्बी नहीं बन सका है। लेकिन जिस गति से उत्पादन बढ़ा है, उससे विश्वास होता है कि अगले दो-तीन वर्षों में गाँव न सिर्फ स्वावलम्बी बन सकेगा,

वरन् अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचकर अपनी अन्य जरूरतों भी पूरी कर सकेगा ।

गाँव में महुए के बहुत-से पेड़ हैं । महुआ चुनने का काम सामूहिक रूप से किया जाता है । आधा महुआ उन लोगों को, जो चुनने का काम करते हैं, मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है । वाको आधा सारे परिवारों में समान रूप से वाँट दिया जाता है ।

अनाज का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ा है । गाँव के चारों ओर जंगल हैं और गाँव में मिचाई होने के बारण कुश्रो के चारों ओर की जमीन में, तालाब के आसपास व मिचाई की नालों के दोनों ओर हरी-हरी घास बढ़ती रहती है । इस परिस्थिति में गो-नालन के विकास के लिए काफी गुजाइश है ।

पहले गाँव में गाय-भेंस मिलाकर युल ८० जानवर थे । इन बीच इनकी गंद्या १२७ हो गयी है । इनमें हरियाना नस्त दो ४ गायें हैं, कुछ अच्छी भेंसें हैं, कुछ मुघरे रिष्य परी मुर्गियाँ भी लायी गयी हैं । इन प्रतार गांव में दूध और शगड़ों पा उत्पादन बढ़ा है । अनाज और महुआ गांव में नाय-नाय शर बन्चो गो दूध, शगड़े और तर-पाणियाँ भी मिलने लगी हैं और इसका अन्दर स्वास्थ्य पर-

निश्चित ही दिखायी पड़ेगा । बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और नयी पीढ़ी सबल घनेगी ।

गाँव मे पहले २३ जोड़े बैल थे । जब सब परिवारों को जमीन बाट दी गयी तो बैलों की कमी हो गयी । ७ बैल सर्व सेवा संघ की ओर से गाँव ने प्राप्त किये । एक बैल गांधी निधि ने, दो बैल कल्याण-विभाग ने उनको दिये और तीन-चार जोड़े बैल उनको अपने घर की गायों से मिल गये । इस प्रकार अब प्रत्येक परिवार के पास एक-एक जोड़ी बैल है और इस बजह से भी गाँव का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है ।

गाँव का उत्पादन बढ़ा है । परिवारों को आमदनी बढ़ी है । कुछ मकानों के छप्पर उतर गये है, उनकी जगह टाइल्स ने ले ली है । और जिस प्रकार सूखी धरती ने हरा परिधान पहना है, उसी प्रकार नंगे शरीरों पर भी कुछ सफेद वस्त्र दिखाई देने लगे है ।

कुटेव और कुरीतियों से टक्कर

: ४ :

हम कह आये है कि इस गाँव मे आदिवासी हरिजन लोग वसते हे । इनका रहन-सहन बहुत ही आदि किस्म का रहा है । न ये लोग नहाते थे, न कपड़ों की सफाई की जरूरत महसूस होती थी । पढ़ाई-लिखाई का अभाव, शराब तथा

अन्य व्यसनों की भरमार, लडाई-भगडा, व्यभिचार और गाली-गलौज यही था इनका सास्कृतिक जीवन। इस स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, यह तो नहीं कह सकते। इनका सास्कृतिक उत्थान हुआ है, यह कहना एक बड़ी बात होगी। अनुभव ऐसा आया है कि आदते बहुत धीरे-धीरे बदलती है। व्यसन छुड़ाये नहीं छूटते और गिरा हुआ चरित्र आसानी से साथ नहीं देता। ये सब समस्याएँ इस गाँव के विकास के मार्ग में बाधक बन रही हैं और जब हमारे कार्यकर्ता इस पहलू की तरफ देखते हैं तो बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है।


किसीकी लड़की या किसीकी औरत पर कोई अत्याचार कर बैठता है और यह गाव में आपसी भगडे का कारण बन जाता है। कोई शराब पीकर मस्ती में आ जाता है, तो अपने को थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो, दुनिया का बादशाह समझने लगता है। और तब जो सामने दिखायी पूँड जाय, उस पर गालियों की बीछार, गंदी-गंदी बातें कहना और घर में जाकर किसी छोटे-से वहाने को लेकर औरत और बच्चों को बुरी तरह पीट देना, इस प्रकार के दृश्य जब इस गाँव में दिखायी देते हैं, तो मन को अफ-सोस होता है और निराशा भी होती है। गाँव का सामाजिक जीवन अभी भी गदगी से भरा है। लेकिन गौर से देखे

और आज की जिदगी को १० साल पहले की जिदगी से मिलायें तो आशा की अनेक किरणे प्रस्फुटित होती दिखायी देती हैं।

उदाहरण के लिए कहे तो पहले गाँव के शत प्रतिशत लोग शराब पीते थे। आज १०० लोगों में से ४० लोग ही शराब पीते होंगे, वह भी मुँह छिपाकर। गाँव में एक मूल्य स्थापित हो गया है कि शराब पीना बुरी चीज़ है। जो लोग पीते हैं वे बुरा काम करते हैं और जब इस बुराई का एहसास गाववालों को हो गया है तो जल्दी ही एक दिन वे इस व्यसन से छुटकारा पा जायेंगे और इस प्रकार गाँव में व्यभिचार तथा गाली-गलौज का वातावरण कम होता जायगा।

पहले गाँव में पीने के पानी की भी कमी थी, इसलिए नहाने का रिवाज करीब-करीब नहीं के बराबर था। वप्पें तो एक बार पहनने के बाद फटने पर ही शरीर पर से उत्तरते थे। लेकिन अब गाँव में १० कुएँ हो गये हैं। इसका परिणाम उनकी नहाने-धोने की आदतों पर सहज ही दिखाई देता है। गाँव में से अधिकतर लोग अब रोज नहाते हैं। रोज धोकर यपडा पहननेवाले भी गाँव में अनेक हो गये हैं और वचों में तो यह आदत धीरे-धोरे जड़ जमाती जा रही है। स्तूल के द्वारा वचों को जो शिक्षण दिया जाता है,

में वच्चों की शारीरिक सफाई पर भी ध्यान रखा जाना। उनके नाखून कटे हैं कि नहीं, कपड़े में से गव तो नहीं रही है, बालों की सफाई की है कि नहीं, स्नान किया कि



पुराना रूप—फूस की झोपड़ियाँ

नहीं इत्यादि इन सब वातों को शिवक लोग देखते रहते हैं, इसलिए वच्चे साफ़ रहने लगे हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य और सफाई का विचार आवश्यक रूप से गाव में फैल रहा है।

गाँव की पुरानी आवादी इम प्रकार से बसी थी ति उसमें अधिक सफाई की व्यवस्था सम्भव ही नहीं थी।

कच्चे फूस की भोपडियाँ, क के साथ एक सटी हुई और बीच में छोटी-छोटी गलियाँ। अब इस बस्ती से थोड़ी दूर दो लाइनों में नये घर बनाये जा रहे हैं। घरों की दो लाइनों के बीच चौड़ी सड़क। घरों में प्रकाश व हवा की अच्छी व्यवस्था है। छने फूस की जगह कवेलुओं की बनेगी।



भोपडिया का स्थानन्तर नये घरों में

गांव में एक प्राथमिक पाठशाला खुली है। एक चरीय आवासीय विद्यालय भी हो गया है। आसपास के बच्चे छात्रावास में आवर रहते हैं। यह छात्रावास विशेष स्पष्ट से,

हरिजनों के लिए है। इन वच्चों को वहाँ रखकर उनको पढ़ना-लिखना सिखाने के साथ-साथ जो खास उपलब्धि होती है, वह है उनमें क्रमिक चारित्रिक सुधार और यह गाँव की एक ठोस पूँजी बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जो वच्चे छात्रावास में दाखिल नहीं हो सके हैं, वे रोज पढ़ने के लिए आते हैं और उनके पढ़ने-लिखने की व्यवस्था प्राथमिक पाठ-गाला में होती है। पाठशाला में मनफर के अलावा अन्यान्य गाँवों के वच्चे भी पढ़ने आते हैं।

ग्रामदान के पूर्व मनफर में कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं था। सिर्फ़ तीन व्यक्ति हस्ताक्षर करने का काम कर लेते थे। अब २० लोग थोड़ा-बहुत पढ़ने-लिखने का काम कर लेते हैं। अन्य १० लड़के प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। परन्तु पढ़ने में जितनी रुचि होनी चाहिए, उतनी रुचि अभी तक जगी नहीं है।

ग्रामदान की शक्ति

: ५ :

जो लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, भयभीत हैं, वे ही लोग अपनी शक्ति पा एहमान करके थोड़ा-सा संगठन कर उठ गड़े होते हैं। वे पितने निडर बन जाते हैं, इससा जीता-जागता उदाहरण है मनफर गाँव। एक पटवारी और जमोदार के दो गुमारने आकर इन गाँववालों पर मनमाना

श्रत्याचार कर सकते थे, किसी गरीब की मुर्गी पकड़ ली, उसको छट कर गये। बकरी को काट डाला और दावत हो गयी, दस-वीस लोगों को पकड़ लिया और मनमानी बेगार करवा ली, इस तरह के श्रत्याचार आये दिन होते रहते थे। और ये भीरु लोग सब कुछ चुपचाप सह लेते थे या तो जान बचाकर जंगल की ओर भाग जाते थे। गाँव में एक सफेदपोश को देखते हो गाँव के बलिष्ठ-से-बलिष्ठ लोग कायर की तरह जंगलों में भागकर छिप जाते थे। वे ही लोग आज संगठित होकर ग्राम-स्वराज्य का नारा लगाते हैं और बड़े-से-बड़े श्रत्याचारी के सामने डट जाते हैं। पुलिस के आफिसर की, जमीदार के गुण्डों की क्या मजाल, जो गाँव में बुरी नीयत लेकर एक मिनट के लिए भी ठहर जाय।

एक-दो साल पहले की बात है—इस इलाके में एक ठीकेदार था। कहने को तो ठीकेदार था, लेकिन उसका मुख्य धंघा डकैती था और वह डकैतों का सरदार ही था। किसीको पीट देना, किसीका कत्ल करवा देना, विसीका सामान उठवाकर ले जाना, यह उसके बायें हाथ का खेल था। लोग उससे थर-थर कांपते थे। उसी आदमी ने मनकर के आसपास के जंगल में महुए का ठोका लिया और इस ठीके के बहाने वह गाँव के महुए के

पेड़ों का भी महुआ चुनवाने लगा। यह गाँववालों पर खुला अत्याचार था। किसीकी क्या मजाल, जो उसको रोके। वह अपने को बादशाह ही समझता था।

गाँववालों ने सभा की और तय किया कि हम सब लोग जाकर सामूहिक रूप से अपने गाँव के पेड़ों से महुआ चुनेंगे। निटर होकर शान्ति में रहेंगे, लेकिन उस ठीकेदार का अत्याचार नहीं चलने देंगे। गाँव के लोग महुआ चुनने लगे। ठीकेदार ने उनको ललकारा और ढाटने, डराने और धमकाने की कोशिश की। दो-चार लोगों को पिटवा भी दिया, लेकिन गाँववाले शांति के साथ डटे रहे, अपना महुआ चुनते रहे। सर्वोदय-कार्यकर्ताओं का भी उन्हें बल मिला और आखिर में इस संगठन के आगे वह ठीकेदार हार गया। उसने आकर माफी भी माँग ली। इस घटना का परिणाम दूर-दूर तक हुआ। अब इन लोगों को सताने की हिम्मत कोई नहीं करता।

मनफर का एक किसान है फागोसिंह। उसके बारे में हम कह आये हैं कि पिछले साल उसने गेहूं की सुन्दर फसल उगायी और उसको सबसे अच्छा गेहूं उगाने के लिए प्रखण्ड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। यह किसान डटकर काम करता है। सिर्फ खेत में ही नहीं, सामाजिक कामों में भी आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। एक जमाना था,

जब फागोसिंह पुराने जमीदार के सामने पड़ोसी गावो के छोटे-मोटे जाति-नेताओं के सामने जाते हुए भी धबडाता था। लेकिन धीरे-धीरे वह स्वयं ही एक नेता बन गया है और इन लोगों को पीछे छोड़कर वह अपनी अचल पचायत का सरपंच बन गया है। इन पुराने नेताओं से जनता तंग आ चुकी है और फागोसिंह के नये नेतृत्व में आशा की झलक दिखायी देने लगी है।

फागोसिंह जैसे अन्य चार-पाँच ग्रामनेता मनफर में तैयार हो रहे हैं। ग्रामनेतृत्व और निर्भयता यह गॉव की सबसे बड़ी प्राप्ति कहे तो गलत नहीं होगा। ये लोग अपने गाव की योजना मजूर करवाने के लिए ब्लाक आफिस में जा सकते हैं। सहकारी बैंक में जाना हो, ब्लैकटर से मिलना हो, थाने का कोई काम हो, फारेस्ट गार्ड का कोई शिकायत हो, तो सब काम निर्भयता से कर लेते हैं। जगल से जलावन के लिए कोई लकड़ी लाये, बांस लाये—इन सब कामों के लिए फारेस्ट गार्ड को रिश्वत दे देने से काम चल जाता था। ग्रामदान के बाद जब इन लोगों ने रिश्वत देना बद कर दिया, तो इनको जलावन मिलना भी बद हो गया। लेकिन सामूहिक शक्ति के आगे यह अत्याचार भी बद हुआ है। फारेस्ट गार्ड की मनमानी नहीं चलती। उसको रिश्वत भा नहीं देते, तो भी कानूनन् जो जगल के

अधिकार गाँववालों को प्राप्त हैं, जलावन आदि सुविधा गाँववालों को मिलती रहती है।

जब कोई समस्या आती है, गाँव के विकास के लिए कोई योजना बनानी होती है, तो गाँव के सब लोग मिल-कर बैठने हैं। ग्रामसभा की बैठक होती है और क्या करना



मनफर ग्रामसभा

चाहिए, इसके बारे में निर्णय लिये जाते हैं। ग्रामसभा सिर्फ नामभाव के लिए नहीं है। वह वास्तव में कार्यशील है और भविष्य में क्या करना है, इसके बारे में महत्वपूर्ण

निर्णय लेती रहती है। गाँव में तालाब बनान है, नदी पर वाँध बधाना है, कुएँ खोदने हैं, जमीन की गेड़ावंदी करनी है, स्कूल के लिए जमीन देनी है, गोशाला के लिए इमारत बनानी है—इस प्रकार के अनेक निर्णय ग्रामसभा ने लिये हैं।

इन निर्णयों के चलते हजारों रुपयों का श्रमदान गाँववालों ने किया है और गाँव का उत्पादन ढाईगुना तक बढ़ाया है। आर्थिक विकास के अलावा कुछ सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण निर्णय गाँववालों ने लिये हैं। गाँव का कोई भी लड़ाई-भराड़ा कचहरी में नहीं जाता है और इस प्रकार गाँव भुकदमेबाजी से पूर्णतया मुक्त है।

गाँव में पहले जो शादियाँ, श्राद्ध आदि उत्सव होते थे, उनके लिए गाँववाले महाजनों से कर्ज ले आते थे और इस प्रकार उनका कर्ज बढ़ता जाता था। इस दुःख को भिटाने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गाँव में किसी भी लड़की या लड़के को शादी हो, विसीके माता पिता का श्राद्ध हो, वह गाँव का उत्सव होगा और गाँव के लोग सामूहिक रूप से मिलकर उसे करेंगे। इस काम के लिए जिसके घर उत्सव होगा, उस घर को हरएक परिवार से ३ सेर चावल, ३ पाव दाल, सब्जी तथा नकद १) रुपया दिया जायगा। उत्सव के साज-

सामान के लिए जो कुछ अधूरा रहेगा, उसको सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इस प्रकार शादी या श्राद्ध का बोझा किसी एक परिवार पर नहीं पड़ता और उसको इस काम के लिए कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार विना कर्ज लिये सामूहिक प्रयत्न से गाँव ने २० शादियों और १० श्राद्धों का बोझ हँसते-खेलते उठा लिया है।

क्या ही अच्छा हो, यदि भारत के हरएक गाँव में शादी, श्राद्ध और ऐसे अन्य उत्सवों के बारे में ऐसा ही नियम बना दिया जाय और किसीको खुशी का उत्सव करने के लिए कर्ज का दुःख न सहन करना पड़े। हमको विश्वास है कि मनफर का यह उदाहरण अनुकरणीय बनेगा और इसका प्रचार दूर-दूर तक होगा।

कुछ सामूहिक संस्थाएँ

: ६ :

सर्वोदय सहयोग समिति

मनफर गाँव में एक सर्वोदय सहयोग समिति की स्थापना की गयी है। इसका रजिस्ट्रेशन सन् १९५४ में किया गया। आज इसकी शेयर पूँजी घ्यारह सौ रुपये है और सदस्य-संख्या ३२ है। गाँव में कर्ज का लेन-देन करोब-करीब इसी समिति के मार्फत होता है। पिछले वर्ष सन् १९६४ में इस समिति के मार्फत १२०० रुपये का कर्ज

गाँववालों को दिया गया, जो उन्होंने वापस किया। इस साल (सन् १९६५) ३०८० हूँ का और कर्ज गाँववालों को दिया गया है और आशा है कि समय से पहले ही इसको वापस कर सकेंगे। इस समिति का संगठन अच्छी तरह चल रहा है और जहाँ तक कर्ज वाँखदे देने का सवाल है, वह सरकारी नियमों के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से चल रहा है।

स्कूल

ग्रामदान के पूर्व मनफर मे कोई स्कूल नहीं था। आज इस गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला है और एक बड़ी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है। इस काम के लिए गाँववालों ने १६-१७ एकड़ जमीन स्कूल के लिए दान की है।

आवासीय विद्यालय के पीछे बच्चों का संस्कार परिवर्तन करने की एक कल्पना है। उनको एक दिनचर्या बने, बै नहाने, धोने तथा सफाई की आदतें सीखें। खेती, गोशाला, वस्त्र-विद्या व अन्य उद्योगों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण लें। ये लोग समाज की समस्याओं व उनके हर सम्बन्ध हल के बारे में चर्चा करें। बच्चे अपनी पार्लियामेंट चलायें, इस प्रकार उनका गणतंत्र में प्रशिक्षण हो। ये ही युवक आगे चलकर ग्रामनेता बनेंगे। इन बच्चों के माध्यम से ही

पालकों का भी प्रशिक्षण व सुधार किया जा सकेगा। पालकों को सभाएँ बुलायेंगे, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। वे लोग विद्यालय की सुधारी हुई खेती तथा उद्योगों से व्यावहारिक प्रेरणा हासिल कर सकेंगे। इस प्रकार का विचार मन में रखकर इस आवासीय विद्यालय का प्रारम्भ किया गया है।



आदिवासी स्कूल सेफेटरी, शिक्षक और विद्यार्थी
आसपास के हरिजन वचे इस आवासीय विद्यालय में
आकर रहते हैं और पढ़ते हैं। अन्य वच्चे प्रतिदिन आकर

आइमरी पाठशाला में शिक्षण पाते हैं। इस प्रकार से आस-पास के गाँव के बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था मनफर गाँव ने की है।

गोपाल मन्दिर

यह आदिवासियों का इलाका है और तरह-तरह के अंध-विश्वास तथा रुद्धियाँ यहाँ के जनमानस को जकड़े हुए हैं। कोई बीमार हुआ तो भूत-प्रेत की उपासना की जाती है, फाड़-फूँक की जाती है और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अंध-विश्वास गाँव में प्रचलित हैं। गाँव को कुछ अच्छे संस्कार मिल सकें, इस खपाल से थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस गाँव में एक गोपाल मन्दिर की स्थापना की गयी है। इस मन्दिर में समय-समय पर गाँव के लोग भजन-कीर्तन के लिए इकट्ठा होते हैं और तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन इसके मार्फत होता रहता है।

सर्वोदय आश्रम

। ७ :

हम लिख आये हैं कि मनफर का यामदान होने के तुरंत बाद एक सर्वोदय आश्रम की स्थापना गाँव में की गयी। इस आश्रम में आज तीन-चार कार्यकर्ता रहते हैं

और अन्य चार-पाँच कार्यकर्ता इस गाँव को केन्द्र मानकर मनफर के पूरे क्षेत्र में धूमते रहते हैं। ये लोग गाँव के



मनफर का सर्वोदय आश्रम

सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इनके पास किसी शासन की सत्ता नहीं है। ये लोग जनसेवक के रूप में ही गाँव में काम करते हैं। जनसेवा के क्या काम ये लोग करते हैं?

इनका सबसे बड़ा काम है ग्रामदान की पुष्टि। जिन गाँवों ने ग्रामदान की घोषणा की है, उन गाँवों के समर्पण-

पत्र लिखे गये है कि नहीं, गाँव में ग्रामसभा बन गयी है कि नहीं, जमीन का वीसवाँ हिस्सा सब भूमिहीनों को मिल गया है कि नहीं, ग्रामकोष की स्थापना हो चुकी है कि नहीं—इन सब कामों में ये लोग ध्यान देते हैं और जिन गाँवों ने ये शर्तें पूरी नहीं की हैं, उन गाँवों को उक्त शर्तें पूरों करने में ये लोग मदद करते हैं। आवश्यकता होने पर उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं, उनको ग्रामदान की बातें समझाते हैं।

इनका दूसरा काम है ग्राम-सभा को मजबूत बनाना। ये लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि ग्रामसभा समय-समय पर मिलती रहे और गाँव की उन्नति के लिए आवश्यक निर्णय लेती रहे। श्रमदान से कुएँ खोदने हैं, तालाब की मरम्मत करनी है, जमीन की बंडिंग करनी है, सामूहिक जमीन को जोतना है और खोना है, समय पर खाद और बीज लाना है आदि निर्णय समय पर लेने में ये आश्रमवासी गाँव की मदद करते हैं। यदि ग्रामसभा के लोग सोने लगें तो उनको कभी-कभी झकझोरने, जगाने का काम भी ये लोग करते हैं। कभी-कभी ये लोग खुद ही निर्णय ले लेते हैं और गाँववालों के अभिक्रम पर इस प्रकार चोट पहुँचती है। लेकिन फिर ये संभल जाते हैं और गाँववालों को ही अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं।

कभी-कभी जब गाँव के लोगों में झगड़े होते हैं और ग्रामसभा उसको आपस में निपटा नहीं पाती, तो विशेष निमन्नित पञ्च की हैसियत से भी ये लोग काम करते हैं। सिर्फ मनफर ग्राम का ही काम ये लोग नहीं करते, वरन् आसपास के अन्य ग्रामदानी और अग्रामदानी गाँवों में भी सामूहिक अभिक्रम जगाने का काम भी करते हैं। कभी-कभी दो गाँवों में झगड़े हो जाते हैं और वे प्रतिवर्प बढ़ते रहते हैं। तब ये लोग बीच में पड़कर उनको सुलझाने का काम भी करते हैं। एक गाँव में दो गोतियों के बीच भकान के अन्दर की २॥ डिसम्बर जम्होन को लेकर मुकदमा चलने लगा। इस मुकदमे ने भयंकर रूप धारणा किया। आपस में मारपीट भी हुई। १० हजार रुपये मुकदमे में खर्च हो गये और व्यक्तियों में समझौता हो नहीं सका। इस गाँव का ग्रामदान हुआ और कायंकर्त्ताओं के प्रयास से यह झगड़ा बिना पैसे के सुलझ गया। इसी प्रकार एक गाँव में रहने-वाले एक मालिक की जमीन दूसरे गाँव में थी। उस जमीन पर उसके एक गोती का वज्जा था। दो रितेदारों में झगड़ा होने लगा। मुकदमे में १२०० रुपये खर्च हो गये, लेकिन उसका हल नहीं निकला। आथ्रम के कायंकर्त्ताओं के प्रयास से दोनों रितेदारों ने आपस में सुलह कर ली। कुछ रुपये लेकर जमीन-मालिक ने दूसरे गाँव के अपने

सुनो कहानी मनफर की

रिंश्टेदार को जमीन दे दी और भगड़ा सुलभ गया। इस प्रकार के अनेक भगड़े सुलझाने का काम आश्रम के ये सेवक करते रहते हैं।

ये लोग गाँव के डॉक्टर का भी काम करते हैं। आम वीमारियों की कुछ पेटेंट दवाइयाँ, मलहम आदि ये लोग रखते हैं। सांप काटने की दवाई भी ये लोग रखते हैं। साप की दवाई के लिए आसपास के बहुत-से गाँवों के लोग यहाँ आते हैं और इस प्रकार की सेवा द्वारा परस्पर प्रेमभाव बढ़ता है।

भगड़े सुलझाने के अलावा चरखे का प्रचार, खादी-ग्रामीणों को बढ़ाना, शान्ति-सैनिकों का संगठन करना और नये ग्रामदान प्राप्त करना ये सब काम भी ये कार्यकर्ता करते रहते हैं और इन सब कामों के लिए मनफर केन्द्र के अन्तर्गत नये छह उपकेन्द्र सारे चेत्र में सेवा करने के लिए वायम किये गये हैं। इन केन्द्रों में लगभग १२ कार्यकर्ता पूरा समय देकर काम कर रहे हैं।

कुछ असफलताएँ : कुछ सबक : ८ :

मनफर में सब कुछ अच्छा हो हुआ है, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ असफलताएँ भी हैं, जिनसे दूसरे गाँववाले कुछ सबक सोख सकते हैं।

जहाँ तक व्यक्तिगत उन्नति का सवाल है—सब परिवारों की आमदनो बढ़ी है और कुल मिलाकर गाँव का उत्पादन भी बढ़ा है। सामूहिक प्रयास द्वारा भी गाँव में कुछ अच्छे काम हुए हैं। तालाब बनाया गया है, नाले पर बांध डाले गये हैं, आठ-दस कुएँ खोदे गये हैं और इसमें बहुत सारा काम सामूहिक श्रमदान से हुआ है। लेकिन गाँव में कोई सामूहिक उद्योग या सामूहिक सेती का कोई नमूना या अन्य ऐसा धंधा, जिसके लिए कुछ लोगों को सतत मिल-जुलकर काम करना पड़े और उस धंधे की आमदनी का या उत्पादन का विधिवत् वेटवारा करना पड़े या उसका हिसाब रखना पड़े, इस प्रकार का कोई काम अभी तक चल नहीं सका है।

गाँव की दूकान

सन् १९५६ में एक सहकारी दूकान की स्थापना की गयी। इसके लिए प्रत्येक परिवार से ५-१० रुपये चंदा करके १५० रु० की पूँजी इकट्ठी का गयी। सर्व सेवा संघ ने २०० रु० की मदद सामूहिक दूकान चलाने के लिए दी। गाँव में जो चोजे आवश्यक होती है—गुड़, आटा, तेल, साबुन तथा अनाज—इस दूकान में रखी गयी। पहले दो वर्ष, जब तक कोई-न-कोई कार्यकर्ता इस दूकान के पीछे

सतत ध्यान देता रहा - दूकान का हिसाब रखने में मदद करता रहा — तब तक यह दूकान व्यापारी चलती रही। लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोग बिना नकद पैसा दिये सामान उधार ले जाने लगे। उधार ली हुई वस्तुओं का दाम महीना, दो महीना, चार महीना और सालभर बगूल न हो सका। धीरे-धीरे दूकान को अधिकतर वस्तुएँ उधार खाते भे चली गयी। वसूली करने में कठिनाई होने लगी, हिसाब ठीक तरह नहीं रखा गया। जो लोग दूकान चलाते थे, उनकी दिलचस्पी घटने लगी और तीसरा साल पूरा होने के पहले ही दूकान बद कर देनी पड़ी। ऐसा लगता है कि इसप्रकार की दूकान शुल्कों जाय, उसके पहले दूकान चलाने वालों को सम्बद्ध हिसाब वा अच्छा अभ्यास करना होगा। जब अधिकतर गाँववालों के दिमाग में यह बात स्पष्ट रूप से बैठ जायगी कि दूकान सबके फायदे के लिए है, तो उसके द्वारा सब लोग अपनी जहरत की चीजों को उचित दामों में खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत दूकानदारों द्वारा अयथिक मुनाफा करके जो शोपण आज गाँववालों का होता है, उससे बचने का यह एक सरल और अच्छा मार्ग है। और जब सभी लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से यह तथ करेंगे कि हम जो भी सामान लेंगे, उसका दाम तुरत जमा करेंगे, तब ही दूकान चल सकेगी।

वास्तव में दूकान को एक सहकारी खरीद-विक्री भंडार का रूप लेना चाहिए। जब किसानों के खेत में पैदावार होती है, उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो वे तुरंत अपना अनाज और दूसरी चीजें पास के बाजार में ले जाकर अत्यधिक सस्ते दामों पर बेच डालने के लिए मजबूर होते हैं। जब उनको खरीदने की जरूरत पड़ती है, तो बाजार में सब चीजें महँगी हो जाती हैं और उनको वही अनाज और दूसरे उत्पादित वस्तुएँ डेढ़गुने दाम में खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। यदि यह खरीदने और बेचने का काम सहकारी दूकान के माफंत चलेगा, तो ही किसानों का दोतरफा शोषण रुकेगा। यह बात उनकी समझ में आयेगी और गाँव के एक-दो समर्थ लोग दूकान को सफल बनाने के लिए पीछे पड़ेंगे तो ही वे सफल बनेंगे।

मद्रास प्रांत के कोयम्बतूर जिले के मुलूतूर व्लाक के गाँवों ने यह काम कुशलता के साथ चलाया है। इस चेत्र में २४ ग्राम-भण्डार (दूकानें) हैं। इन दूकानों में करीब ४० हजार रुपये की पूँजी लगी है और इनका कुल खरीद-विक्री वर्ष में ८-९ लाख रुपये तक होती है। प्रत्येक दूकान पर उसी क्षेत्र का एक हिसाब सोखा हुआ कार्यकर्ता रखा गया है। उसको दूकान की आमदानी में से ५०-६० रु० प्रति माह वेतन दिया जाता है। ये दूकानें इतनी अच्छी

चलती है कि सरकार ने इस क्षेत्र में राशन सप्लाई की सारी जिम्मेवारी आग्रहपूर्वक इन्हीं दूकानों को सौंप दी है। इस क्षेत्र का यह अनुभव अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय है।

गोशाला

हम पहले ही लिख आये हैं कि गाँव में सिचाई का इन्तजाम होने के कारण तालाब, कुओं तथा सिचाई की नालियों के आसपास धास-पात बढ़ती रहती है। चारे की दूसरी फसलें जैसे—बरसीम, ल्यूसर्न, ज्वारी, मक्का आदि भी यहाँ उगायी जा सकती है। गोपालन और दूध-उत्पादन का एक अच्छा केन्द्र यहाँ बन सकता है। यह सोचकर सन् १९६४ में 'वार ऑन वांट' फंड की मदद से एक गोशाला की स्थापना करने का तय किया गया। नस्ल सुधार करने की दृष्टि से चार हरियाना गायें गाँव में लायी गयी। ऐसा सोचा गया कि गोपालन का धंधा सामूहिक रूप से चले और गायों को एक सामूहिक स्थान पर रखा जाय। इसलिए गोशाला के लिए एक छोटी इमारत भी खड़ी की गयी। कुछ दिन तक काफी उत्साह रहा। गाँव के प्रत्येक घर से गायों के खिलाने के लिए धास आती थी और बॉटकर दूध लेते थे। लेकिन यह काम बहुत दिन तक नहीं चल सका। लोग धास देने में आनाकानी करने लगे। काम में अनियमितता करने लगे। इस प्रकार गायों

का दूध सूखने लगा । गोशाला में घाटा होने लगा और तब गाँववालों की सभा हुई और उन्होंने तय किया कि गोशाला हम नहों चला सकेंगे । या तो गायें व्यक्तिगत रूप से घरों को बाँट दी जायें अथवा आश्रम के लोग गोशाला को चलाने की जिम्मेवारी ले ले । तत्परतात् आश्रम के लोगों ने गोशाला चलाने की जिम्मेवारी ले ली । गायों की सेवा के लिए ग्रामसभा की राय से गाँव का एक मजदूर नियुक्त किया गया । चारा-दाना गायों को खरीदकर खिलाने लगे । लेकिन उसमें भी कई सवाल उठ खड़े हुए । गोशाला में साँड़ नहीं था । इसलिए गायों का गर्भाधान समय पर नहीं हो सकता था । आश्रम के कार्यकर्ता ग्रामदान-आन्दोलन के लिए तथा गाँवों में निर्माण-कार्य करने के लिए घूमते रहते थे । इसलिए गोशाला की देखभाल भी ठीक नहीं हो सकी । उसका घाटा बढ़ता ही गया और अंत में उसको बंद कर देना पड़ा । चार गाये और उनके चार बछड़ों को ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार छह परिवारों में बाँट दिया गया । आज वे लोग व्यक्तिगत रूप से गायों की देखभाल करते हैं और उसका दूध आदि भी खुद ही पीते हैं ।

सामूहिक खेती

व्यक्तिगत परिवारों को १६६ एकड़ जमीन बाँटने के बाद अन्य २६ एकड़ जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी

गयी है। यह तथ्य है कि इस जमीन की पौदावार से जो आमद होगी, वह गाँव की सामूहिक भलाई के कामों में खर्च की जायगी। लेकिन पिछले ११-१२ सालों में से सिफ़ ४-५ साल हो इसमें खेती की जा सकी है। उसकी पौदावार भी बहुत कम हुई है और यह एक प्रकार की असफलता ही मनफर के इतिहास में लिखी जायगी।

अनुभव ऐसा आया है कि सामूहिक श्रम से फुटकर खेती, जिसमें रोज़-दर-रोज़ काम करने की आवश्यकता होती है, वह सफल नहीं हो पाती। अनाज की खेती, साग-भाजो की खेती सामूहिक जमीनों में सफल नहीं हो पायी है। लेकिन तमिलनाड़ु व असम के कुछ ग्रामदानी गाँवों ने कुछ ग्राम-बगीचे बनाये हैं और उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मदुरा जिले में कनवायपट्टी गाँव ने १० एकड़ में नारियल के पेड़ लगाये हैं। ५-६ वर्ष बाद यह बगीचा उनको कम-सेन्कम ५-७ हजार रुपया प्रतिवर्ष देता रहेगा। इसी प्रकार आंध्र के कुछ गाँवों में संतरा तथा नीबू के और आसाम के कुछ गाँवों में केला व अनन्नास के बगीचे लगाये गये हैं। गाँव-बगीचे के पीछे यह विचार है कि उसको यदि ४-५ वर्ष सेमाल लिया जाय, तो बाद में वह बहुत थोड़ी देखभाल से ग्रामसभा को एक निश्चित आय प्रतिवर्ष देता रहेगा। ग्रामसभा को ३-४ हजार रुपये की प्रतिवर्ष

आमदनी हो, तो वह ग्राम-विकास के नये-नये कार्यक्रम उठाती रहेगी। गाँव की खेती का सुधार किया जा सकेगा। कुछ नये उद्योग खड़े किये जा सकेंगे और सर्व-हित के अनेक कार्यक्रम उठाये जा सकेंगे।

मनफर-निवासियों की समझ में यह विचार आया है और उन्होंने निश्चय किया है कि अगले वर्ष इस सामूहिक जमीन में एक कुआँ खोदेंगे तथा आम का बगीचा लगायेंगे।

भविष्य सुनहरा है

: ६ :

मनफर ग्रामदान हुआ, तब लोगों के मन में बहुत-सी शंकाएँ थीं। गाँव की जमीन चली जायगी, विनोवाजी के लोग गाँव की जमीन के मालिक बनेंगे, सबको सिर्फ़ खाना मिलेगा और वाकी पैदावार विनोवा के आदमी ले जायेंगे। इस तरह की बहुत-सी गलतफहमियाँ लोगों के मन में थीं। आसपास के बड़े किसान, राजनीतिक नेता और महाजनों ने गाँववालों को बहकाने की कोशिश की कि अब तुम सब लोग वे-घरवार हो जाओगे, वे-जमीन हो जाओगे और सिर्फ़ मजदूर बन जाओगे। लेकिन धीरे-धीरे इस प्रकार की सारी गलतफहमियाँ दूर हो गयी। जैसे-जैसे लोग स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने लगे, लोगों की शंकाएँ निर्मूल साधित होती गयी।

मनकर का ग्रामदान हुआ । प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन का बराबर बँटवारा हुआ । जिन परिवारों के पास ज्यादा जमीन थी, उनको कम जमीन मिली और जिनके पास कम जमीन थी, उनको ज्यादा जमीन मिली । जिस परिवार में जितने अधिक व्यक्ति, उस परिवार को उतनी अधिक जमीन । यह था न्याय का तकाजा और गाँववालों ने यह स्वयं अपनी मर्जी से, न किसी कानून और न किसी जोर-जबरदस्ती से, बल्कि अपनी खुशी-खुशी किया ।

मैं जब गाँव मे गया, तो मेघन सिंह की हालत देखने की कोशिश की । उसकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब नहीं है, यह बात वह स्वयं ही कबूल करता है । पहले उसके परिवार में ६ सदस्य थे और १३ एकड़ जमीन थी । प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगभग १॥ एकड़ जमान उसके पास थी । अब उसके घर मे ५ सदस्य हैं । उसकी बहनों की शादी हो गयी और वे अपने-अपने घर चली गयी । ५ सदस्यों के पास ४॥ एकड़ जमीन है । इसमें से एक एकड़ तीन-फसली जमीन है और २ एकड़ दो-फसली जमीन है । इस प्रकार कुल बोया जानेवाला क्षेत्रफल ७॥ एकड़ है और हिसाब निकाला जाय तो अभी भी प्रत्येक व्यक्ति के पीछे १॥ एकड़ ही जमीन उसके पास है । इसके अतिरिक्त जो बुद्धि सिंचाई वी सुविधा हुई और सिचाई के

साथ-साथ सुधरे हुए श्रीजार, बोज और खाद का इस्तेमाल खेती में शुरू हुआ, उसके कारण उसका उत्पादन बढ़ा है। ग्रामदान के बाद उसकी गरीबी बढ़ी नहीं है। वह कहता है कि पहले ३ वर्ष ग्रामदान के बाद मुझे लगता रहा कि मुझे धाटा हुआ है, गरीबी बढ़ी है। लेकिन आज १३ वर्ष बाद मुझे लगता है कि मेरी गरीबी नहीं, अमीरी ही बढ़ी है। इसी प्रकार श्री चमारी सिंह, श्री फागो सिंह और अन्य किसान, जिनके पास अधिक जमीन थी, उनकी भी खुशहाली बढ़ी है।

गाँव की खुशहाली बढ़ी है। जो लोग पहले मवका, महुआ, अरहर, टेनी, गेंठा, पेड़ों की जड़े खाकर जीवन बसर करते थे, वे अब गेहूँ, ज्वार, चावल, तरह-तरह की सब्जियाँ, दाल और दूध भी खाते हैं। यह चमत्कार उनके उन सभी रिश्तेदारों ने देखा है, जो श्रास-पास के गाँवों में रहते हैं और पिछले १० वर्षों में समय-समय पर मनफर गाँव में आते रहे हैं। उन सबके मन में ग्रामदान की प्रतिष्ठा हुई है। ग्रामदान एक अच्छा विचार है, उन्नति का विचार है, यह प्रतीति थोड़ी या अधिक उन सब गाँवों को हुई है, जिनके लोग मनफर देख आये हैं या जिन्होंने उन व्यक्तियों से मनफर के चिपास वी आयों देखी कहानी मुनी है, जिन लोगों ने मनफर गाँव वा चमत्कार देखा है, वहाँ के योदे हुए बुओं पो देखा है, यड़े तालाब और

नाले पर बैंधे हुए गाँध को देखा है, जिसकी बदौलत आज गाँव में धान, गेहूँ और तरहन्तरह की सब्जियों के हरेभरे खेत लहलहाते रहते हैं।

मनफर गाँव के उदाहरण से दूसरे गाँवों ने प्रेरणा प्राप्त की और धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अनेक ग्रामदान हुए। मनफर ग्रामदान ने आज एक आन्दोलन का स्वरूप ले लिया है। लगभग १६० ग्रामदान हो चुके हैं। इसमें से करोब १० गाँव पुराने ग्रामदान हैं। बाकी के १५० ग्राम अभिनव ग्रामदान हैं। मनफर क्षेत्र में ग्रामदान का एक तृफान ही आ गया है और अब लगता है कि जल्द ही बाराचट्ठी ब्लाक के अधिकतर गाँव ग्रामदान में शामिल होकर प्रखण्डन-दान की घोषणा कर सकेंगे।

अधिक-से-अधिक गाँव इस ग्रामदान-आन्दोलन में शामिल हो सके, इसलिए विनोबाजी ने ग्रामदान को सरल कर दिया है और अब सुलभ ग्रामदान करना उतना मुश्किल नहीं रहा। सुलभ ग्रामदान विचार के मुख्य चार तत्त्व हैं—गाँव की जमीन गाँव में रहे, किसान की जमीन किसान हो जोते। उसको महाजन या अन्य अनुत्पादक व्यक्ति न हड्डप सके। इसलिए पहला तत्त्व है, जमीन की मालिकी गाँव की और जोतने का अधिकार व्यक्ति का। यदि मालिकी व्यक्तिगत किसान की रहेगी और वह जमीन

को गिरवी रखेगा अथवा बेचेगा, तो उसके वच्चों का भविष्य संकट में पड़ेगा। यह एक खुला सत्य है और इस व्यक्तिगत मालिकी की वजह से किसान-परिवार दुर्भाग्य के शिकार होते रहे हैं, हो रहे हैं। किसान-परिवार का यह दुर्भाग्य भिटे, इसलिए ग्रामदान का पहला तत्व है, जमीन की व्यक्तिगत मालिकी का अंत और जमीन का खरीदने-बेचने का काम सिर्फ ग्रामदान-परिवार के भीतर। कोई व्यक्ति जमीन बेचना चाहे तो वह उसी गाँव के किसी ग्रामदानी परिवार को ही बेचेगा। किसी महाजन, साहूकार या बाहर के किसी व्यक्ति और गाँव के भीतर के अग्राम-दानी व्यक्ति को नहों बेचेगा। उसकी जमीन मुरक्कित रहे। जमीन जोतनेवाले के पास रहे, यह विचार इस तत्व में समाया है।

ग्रामदान का दूसरा तत्व है—ग्राम-सहकार। गाँव के सब वालिंग व्यक्ति मिलकर एक ग्रामसभा का निर्माण करें और ग्रामसभा सभी की उन्नति के लिए सर्वसम्मति से निर्णय ले, यह है सुलभ ग्रामदान का दूसरा तत्व।

मजदूर और मालिक में प्रेम हो, तभी सहकार पनप सकेगा। इसलिए ग्रामदान की तीसरी शर्त है कि प्रत्येक भूमि-मालिक अपनी जमीन का २०वाँ हिस्सा गाँव के किसी भूमिहीन के लिए दान दे। यदि गाँव यह शर्त कबूल

करेगा, तो गाँव मे परस्पर एक दृढ़ भाईचारा बनेगा और गाँव सामूहिक उन्नति के लिए मजबूत कदम उठा सकेगा।

सामूहिक उन्नति के लिए गाँव के सब लोग मिल-जुलकर जो योजना बनायेगे, उसको अमल मे लाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसलिए ग्रामदान की चौथी शर्त यह है कि प्रत्येक किसान अपने उत्पादन का ४०वाँ भाग ग्रामकोष को दे और अन्य सभा व्यक्ति अपनी आय का ३०वाँ भाग यानी महीने का एक दिन का वेतन या मजदूरी ग्रामकोष में जमा करे। इस कोष का विनिमय ग्रामसभा सामूहिक उन्नति के लिए सर्वसम्मति से करे। यह ग्रामदान का चौथा मुख्य तत्व है।

आपके गाँव का ग्रामदान होगा, तो आप अपने गाँव मे अपना राज कायम कर सकेंगे। गाँव मे ग्राम-स्वराज्य की स्थापना यह है विनोबा का आवाहन और अब तो विनोबा ने तूफान ही शुरू कर दिया है। ग्रामदान-आन्दोलन तूफानी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कही आप पिछड़ न जायें। मजबूत दिल से और जल्द ही ग्रामदान का निर्णय लोजिये और गाँव मे ग्राम-स्वराज्य लाने के लिए प्रण कीजिये। हम सब ग्राम-स्वराज्य का प्रण करे। सुनहरा भविष्य हमारी राह देख रहा है।

परिशिष्ट : १

मनफर गाँव : कुछ तथ्य

१. नये मकान

१० मकान बन गये हैं। १० मकान १९६६ के अंत तक बन जायेगे और १२ नये मकान १९६७ में बनेंगे।

२. स्कूल

इस गाँव में ग्रामदान के पहले एक भी पढ़ा-लिखा आदमी नहीं था। सन् १९६२ में प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई। आज उसमें ३५ बच्चे शिक्षा पा रहे हैं।

जनवरी १९६५ में एक आदिवासी आवासीय विद्यालय बना, जिसमें ६० बच्चे शिक्षा पाते हैं।

३. सहकारी दूकान

सन् १९६६ में १२०० रु० की पूँजी से एक सहकारी दूकान खोली गयी। दूकान पर प्रति माह १५०० रु० की विक्री होती है। इसके द्वारा विद्यालय को और गाँव को अनाज, भाजी, किताब-कापो स्टेशनरी आदि की सप्लाइ की जाती है।

४. गेड़ावन्दी (बिंदिंग)

सन् १९६५ की फरवरी में भूमि-सुधार और गेड़ावन्दी की योजना शुरू हुई। सन् १९६६ तक १५० एकड़ जमीन की बिंदिंग हो चुकी है।

१०० एकड़ पड़ित जमीन का भूमि-सुधार हुआ। उसमें अब काश्त होती है।

५. तालाब

सन् १९५४ में एक आहर बनाया गया, जिससे १५ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

सन् १९६० में किसानों ने छोटे-छोटे तीन आहर बनाये, जिससे १० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

सन् १९६५ में एक और तालाब बना, जिससे २० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

६. कुएँ

सन् १९५७ में ४, सन् १९६३ में २, सन् १९६० में २, सन् १९६५ में २, सन् १९६६ में २ कुओं का निर्माण हुआ। कुल १२ कुएँ बने हैं। १० कुएँ पक्के बन चुके हैं। इन कुओं द्वारा लगभग २५ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

आठ कुओं पर विजली पम्प लगाया जा रहा है। सन् १९६६ के अंत तक मोटर-पम्पों के द्वारा सिंचाई होने लगेगी।

प्रगति के आँकड़े

पेदावार (मनों में)

धान	१६५४	७५६	५७	६७	६८	६५
गेहूँ	१००	३००	१५०	२००	२५०	३००
सफेद	—	—	५०	६०	७००	१०००
बूट (चना)	१००	१२५	१००	१२५	१५०	१५०
अरहर	५०	१५०	१००	५०	६०	१५०
मटुआ	५०	६०	७०	९०	१००	१००
आलू (रुपयों में) —	—	५०	१००	१००	१००	१००
			०००५१८	००००५५	००००५०	००००५०

भूदान-ग्रामदान साहित्य

तूफान-यात्रा	सुरेश राम	3.00
ग्रामदान	दिनोबा	1.50
प्रखण्डदान	"	1.00
सुलभ ग्रामदान	"	0.50
ग्रामदान प्रश्नोत्तरी	"	0.50
ग्राम पञ्चायत और ग्रामदान	"	0.35
ग्रामदान : शका-समाधान	धीरेन्द्र मजूमदार	1.00
देश की समस्याएँ और ग्रामदान	जयप्रकाश नारायण	0.50
गौद जाग उठा	राममूर्ति	2.00
ग्रामदान क्या है ?		0.35
ग्रामदान मार्गदर्शिका	मनमोहन चौधरी	0.50
ग्राम-स्वराज्य का त्रिविध कार्यक्रम		0.50
चलो, चलें मगरोड	श्रीकृष्णादत्त भट्ट	0.75
कोरायुट में ग्राम विकास का प्रयोग	अण्णा सहस्रबुद्धे	2.00
तमिलनाड के ग्रामदान	यसन्त व्यास	2.00
कोरायुट के ग्रामदान	"	2.00
गुजरात के ग्रामदान	"	2.00
आनंद वे ग्रामदान	"	1.00
मध्यपश्चिम का ग्रामदान, मोहनरी	"	1.00
अकिनी की बहानी	पदुनाय अस्ते	0.60
ग्राम सभा : स्वरूप और समर्थन	रामचन्द्र 'राही'	0.40
सम्प्रद ग्राम सेवा की ओर : तीन सप्त	धीरेन्द्र मजूमदार	6.00
मेरा गीव	बबलमाई महेता	2.50
सहजीवी गीव : इजराइल वा एक प्रयोग	युमुक दरात्ज	3.00

सर्व सेया संघ प्रकाशन, राजधान, वाराणसी